रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

26.2.88

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 1987/कार्तिक 27, 1909
No. 576] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 1987/KARTIKA 27, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1987

अधिसूचना

का. आ. 993(अ).—केन्द्रीय सरकार, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 486 (अ), तारीख 12 अगस्त, 1986 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 8 और 16 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8. श्री जी. सी. भंडारी निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ङ) के अधीन नियुक्त	सदस्य
16. श्री के. वी. हरीहरदास, अपर मुख्य सचिव, कृषि और ग्रामीण विकास, गुजरात सरकार, गांधी नगर, धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त ।	सदस्य गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए।"।

[फा. सं. 11(1)/86-ई पी (कृषि-IV)]
एम. आर. शिवारमन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 1987

S.O.993(E)—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985 (2 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 486(E) dated the 12th August, 1986,
namely : -

In the said notification serial numbers 8 and 16 may be substituted by the following : —

8. Shri G.C. Bhandari Director, Ministry of Commerce Appointed under clause (e) of sub-section (4) of section 4.	Member

16. Shri K. V. Hari Har Das, Additional Chief Secretary, Agriculture & Rural Development, Govt. of Gujarat, Gandhi Nagar, Appointed under clause (f) of sub-section (4) of section 4.	Member To represent the State of Gujarat.

[F.No. 11/1/86-EP(AGRI.IV)]

M.R. SIVARAMAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987